



कमिश्नरेट वाराणसी



प्रेस नोट


दिनांक- 29-11-2025

“ऑपरेशन कनविकशन”

थाना- बड़ागांव

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में माननीय न्यायालय ACC-01 वाराणसी द्वारा अभियुक्त सुमित भुइया को **आजीवन कारावास एवं 90,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविकशन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना बड़ागांव में पंजीकृत मु0अ0सं0 0101/2023 धारा 302, 315, 316 भादवि में आज दिनांक 29.11.2025 को माननीय न्यायालय ACC-01 वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुमित भुइया पुत्र मनोज भुइया निवासी किरी दौर, बेलारी स्टेशन, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला रांची (झारखंड) को **आजीवन कारावास एवं 90,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



श्रवण कुमार रावत,
ADGC Cr. वाराणसी



निरीक्षक बृजेश कुमार
सिंह,
विवेचक



का0 अजय कुमार,
पैरोकार थाना बड़ागांव



का0 आशीष कुमार
मौर्य
कोर्ट मोहररि